प्रेस विज्ञप्ति
28.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय, मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय, मैंगलोर ने 27.02.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पीएमएलए मामलों के माननीय विशेष न्यायालय, मैंगलोर में रोशन साल्डाना, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा, सुनील फेराओ, जी रवि, मेसर्स याह्वीवी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डुबोइस प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ऋण दिलाने के बहाने विभिन्न व्यापारियों को ठगने के संबंध में अभियोजन शिकायत दायर किया है।

इस मामले में, जून और जुलाई 2025 के महीनों के दौरान रोशन साल्डाना, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा, सुनील फेराओ, जी रवि, मेसर्स याह्वीवी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डुबोइस प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की गई थी। डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य लोगों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विभिन्न व्यापारियों से कम ब्याज दरों पर ऋण दिलाने के बहाने स्टांप शुल्क के नाम पर धन एकत्र करने और वादा किए गए ऋण न दिलाकर उन्हें धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पीएमएलए के तहत हुई जांच में पता चला है कि आरोपी रोशन साल्डाना, श्रीमती डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य ने अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच सुनील फेराओ (मेसर्स अक्षय एजेंसीज), जी रवि (मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज) और मेसर्स याह्वीवी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की नवगठित प्रोप्राइटरी कंपनियों में लगभग 49.45 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई। उन्होंने विभिन्न व्यापारियों से स्टांप शुल्क की आड़ में, उन्हें कम ब्याज दरों पर भारी ऋण दिलाने का वादा करके धनराशि ली थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने व्यापारियों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग वादे के अनुसार ऋण दिलाने के बजाय अपने निजी उद्देश्यों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया, और धनराशि का एक हिस्सा विभिन्न नवगठित फर्जी संस्थाओं के माध्यम से गबन भी किया।

इस मामले में, 05.08.2025 को कर्नाटक के मंगलौर में 5 स्थानों पर पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में, आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए और लगभग 9.5 करोड़ रुपये के बैंक खाते और मछली पकड़ने वाली नौकाएँ फ्रीज की गईं।

जांच के दौरान, पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत दिनांक 06.11.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश द्वारा 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया।

आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।

आगे की जांच जारी है।